न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 24/2013 जिला दौसा

1. गोपाल पुत्र भौंर्या, जाति गूर्जर, निवासी ग्रम बिशनपुरा, तहसील व जिला दौसा ।
2. मु. बच्ची पुत्री भौर्या, पत्नि रघुवीर, जाति गूर्जर, निवासी ग्रम सहायपुर पाखर, तहसील महवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीताराम
2. सरदार
3. गुलाबचन्द
   पिसरान रामकिशन
4. मु. मूली देवी बेवा पत्नि रामकिशन
5. रूपली पुत्री रामकिशन
   समस्त जाति गूर्जर, निवासी बिशनपुरा, तहसील व जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दौसा दिनांक 24.4.2013 बाबत नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 6.3.1968

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक–01.01.2019

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 24.4.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

ग्रम बिशनपुरा तहसील व जिला दौसा स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 133, 143, 145, 224, 228, 445, 451, 1103, 1104 कुल किता 10 कुल रकबा 4.90 हैक्टेयर का खातेदार कालू गूर्जर था जिसके 2 लडके रामकिशन एवं भौर्या थे । भौर्या करीब 60–70 साल पहले कालू के चाचा मूस्या के गोद चला गया था और मूस्या के मरने पर उसकी सम्पत्ति का मालिक भौर्या बन गया । कालू की सेवा चाकरी रामकिशन अकेला ही करता था । खातेदार कालू की मृत्यु पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 48 ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 26.3.68 को भौर्या व रामकिशन के नाम 1/2–1/2 हिस्से का स्वीकृत किया गया जिससे पीडित होकर रामकिशन द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा में अपील दायर की गई, जो उनके निर्णय दिनांक 20.5.80 द्वारा स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत बिशनपुरा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 26.3.68 निरस्त किया गया एवं प्रकरण ग्रम पंचायत को रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षों को विधिवत सूचना देकर व दोनों पक्षों को सुनकर नामांतरकरण का निर्णय करें ।

उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 20.5.80 की अनुपालना में ग्रम पंचायत बिशनपुरा द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 23.7.80 को विवादित भूमि का नामांतरकरण रामकिशन के नाम खोला जाकर स्वीकार करने का आदेश पारित किया । इसके पश्चात् सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा ने मिसल संख्या 155/83 उनवानी रामकिशन पुत्र कालू गूर्जर में आदेश दिनांक 25.11.83 पारित कर ग्रम पंचायत बिशनपुरा के निर्णय दिनांक 23.7.80 का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में किये जाने के आदेश दिये । इसके पश्चात् सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 25.11.83 के आदेश की अनुपालना में विवादित भूमि का पर्चा दिनांक 13.3.84 को रेस्पोंडेन्ट रामकिशन के नाम जारी कर दिया । इसके पश्चात् सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 18.4.1986 पारित कर विवादित भूमि पर रामकिशन व भौर्या का हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किया गया, जिससे पीडित होकर रामकिशन द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में अपील दायर की गई, जो उनके निर्णय दिनांक 3.9.2002 द्वारा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, दौसा मुख्यालय जयपुर दिनांक 18.4.1986 निरस्त किया गया । जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 3.9.2002 के खिलाफ अपील भौर्या द्वारा न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष मय मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 3.9.2002 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 1.8.2006 द्वारा अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 3.9.2002 निरस्त किया गया एवं प्रकरण जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत रूप से सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर उन्हें सुना जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करें । इस पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा आदेश पारित कर रामकिशन की अपील स्वीकार की गई, के खिलाफ न्यायालय अति.सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष गोपाल पुत्र भौर्या द्वारा अपील प्रस्तुत की जाकर अपील स्वीकार करने तथा जिला कलक्टर दौसा का आदेश दिनांक 30.1.2008 निरस्त करने की प्रार्थना की । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 31.3.2009 पारित कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 30.1.2008 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि खातेदार कालू के विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर पुनः विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करें । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 31.3.2009 की अनुपालना में तहसीलदार दौसा द्वारा बाद पक्षकारों की सुनवाई निर्णय दिनांक 24.4.2013 पारित किया कि " उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार भौर्या की वल्दियत मूस्या दर्ज रिकार्ड है, जिससे स्पष्ट होता है कि मूस्या की जमीन जायदाद का मालिक भौर्या हो गया था तथा ग्रम पंचायत के निर्णय के अनुसार मूस्या की सेवा चाकरी , क्रिया कर्म, पगडी दस्तूर, द्वादशा आदि भौर्या के द्वारा ही किया गया था । इस प्रकार भौर्या, मूस्या का दत्तक पुत्र होकर उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक हो गया था । भौर्या , मूस्या का दत्तक पुत्र हो जाने व मूस्या की समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक हो जाने के

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कारण अपने असली पिता कालू की सम्पत्ति में से कोई हक व अधिकार लेने का अधिकारी नहीं है । उक्त वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 6.3.1968 से संबंधित भूमि वर्तमान रिकार्ड में रामकिशन पुत्र कालू के नाम दर्ज रिकार्ड थी । रेस्पोंडेन्ट रामकिशन की दिनांक 29.8.2011 को मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के हक में नामांतरकरण संख्या 839 दिनांक 21.11.2011 खोला जा चुका है । मृतक कालू के दो पुत्रों में से भौर्या, मूल्या के दत्तक पुत्र हो जाने व उसकी चल अचल सम्पत्ति का मालिक हो जाने के कारण ग्रम बिशनपुरा के रिमाण्ड नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 6.3.1968 का वैधानिक एक मात्र वारिस रामकिशन पुत्र कालू को घोषित किया जाता है''। तहसीलदार दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 24.4.2013 के खिलाफ अपीलान्ट गोपाल वगैहरा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.7.2013 का प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 24.4.2013 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि खातेदार स्वर्गीय कालू के दोनों पुत्र भौर्या व रामकिशन के पक्ष में प्रमाणित नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 6.3.1968 को उनके उत्तराधिकारीगण 45 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में न्याय प्राप्ति की आशा लिये अपना तन मन धन बरबाद कर रहे हैं । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नामांतरकरण की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही होती है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का विनिश्चय नहीं किया जा सकता । तहसीलदार दौसा ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके रामकिशन को स्व. कालू गूर्जर का एक मात्र उत्तराधिकारी घोषित कर दिया , जबकि उत्तराधिकार तय करने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को ही शक्तियां प्राप्त है । तहसीलदार ने स्व. भौर्या को मूस्या का दत्तक पुत्र बिना किसी आधार के मान लिया जबकि दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.2013 क्षेत्राधिकार विहिन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 24.4.2013 निरस्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर. बी.जे. (10) 2003 पेज 295 एवं आर.बी.जे. (15) 2008 पेज 68 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । विवादित भूमि का खातेदार कालू था जिसके फौत होने पर प्रश्नगत भूमि उसके दोनों लडके भौर्या व रामकिशन के नाम हुई थी । प्रकरण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.3.2009 द्वारा गोपाल की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 30.1.2008 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि खातेदार कालू के

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर पुनः विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करें । इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.3.2009 की अनुपालना में तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.4.2013 द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार भौर्या की वल्दियत मूस्या दर्ज रिकार्ड होने , जिससे स्पष्ट है कि मूस्या की जमीन जायदाद का मालिक भौर्या हो गया था तथा ग्रम पंचायत के निर्णय के अनुसार मूस्या की सेवा चाकरी , किया कर्म, पगडी दस्तूर, द्वादशा आदि भौर्या के द्वारा ही किये जाने से भौर्या, मूस्या का दत्तक पुत्र होकर उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक होने, भौर्या , मूस्या का दत्तक पुत्र हो जाने व मूस्या की समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक हो जाने के कारण अपने असली पिता कालू की सम्पत्ति में से कोई हक व अधिकार लेने का अधिकारी नहीं है । उक्त वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक नाम दर्ज रिकार्ड थी । रेस्पोंडेन्ट रामकिशन की दिनांक 29.8.2011 को मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के हक में नामांतरकरण संख्या 839 दिनांक 21.11.2011 के द्वारा खोला जा चुका है । मृतक कालू के दो पुत्रों में से भौर्या, मूल्या के दत्तक पुत्र हो जाने व उसकी चल अचल सम्पत्ति का मालिक हो जाने के कारण ग्रम बिशनपुरा के रिमाण्ड नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 6.3.1968 का वैधानिक एक मात्र वारिस रामकिशन पुत्र कालू को घोषित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पक्षकारान में विवाद विवादित भूमि के खातेदार कालू की विरासत के नामांतरकरण का है । मृतक खातेदार कालू के दो पुत्र रामकिशन एवं भौर्या थे । जिनमें से भौर्या, मूस्या के गोद चला गया था तथा मूस्या के फौत होने पर मूस्या की सम्पत्ति का मालिक भौर्या हो गया था तथा वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 6.3. 1968 से संबंधित भूमि वर्तमान रिकार्ड में रामकिशन पुत्र कालू के नाम दर्ज होने तथा रामकिशन के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 839 दिनांक 21.11.2011 को उसके वारिसान के नाम तस्दीक होने को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.2013 द्वारा मृतक खातेदार कालू का एक मात्र वारिस रामकिशन पुत्र कालू को घोषित किया है। हम समझते हैं कि तहसीलदार दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.2013 में कोई विधिक त्रुटि नही होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर